न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

पत्रावली संख्याः—2017 / 00006

अनवानीः—

मनफूल पुत्र चन्दरू जाति बावरी निवासी सोनडी तहसील नोहर

वादी बनाम

1. गुरूदीप पुत्र अर्जनसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी।
2. सरजीत पुत्र अर्जनसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी।
3. करनैलसिह पुत्र अर्जनसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी
4. कालुराम पुत्र गुरूदीपसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी।
5. गुल्लर पुत्र गुरूदीपसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी।
6. जगासिह पुत्र गुरूदीपसिह जाति सिख खाती निवासी सोनडी।

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र धारा 183(बी)
आरटीएक्ट बाबत बेदखली आदेश

उपस्थितः—1. श्री मदनमोहन जोशी एडवोकेट प्रार्थी

2. श्री मांगीलाल देहडु एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः— 09.01.2023

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 368 / 355 के ख.न. 875 / 1की 5.2990 हैक्टर ख.न.896 / 5 की 0.5560 हैक्टर ख.न.897 की 7. 4360 हैक्टर कुल तादादी 13.2910 हैक्टर भूमि स्थित है वादी की उपरोक्त भूमि ग्राम सोनडी तहसील नोहर की आबादी भूमि के नजदीक है जिसका फायदा उठाकर लालचवंश प्रतिवादीगण सं.1 ता 6 ने करीब 10 वर्ष पूर्व वाद भूमि में अवैध तौर से कब्जा कर निर्माण करके कुल कच्चे पक्के 11 मकानात बना लिये है तथा वाद भूमि में जबरिया 11 मकान तामीर कर उसमें रिहायश करने लग गये तथा वाद भूमि की किस्म तब्दील करने में लग गये तथा वाद भूमि वादी की खातेदार कृषि भूमि है वादी अनुसुचित जाति का कमजोर व्यक्ति है प्रतिवादीगण उच्च वर्ग के ताकतवर व्यक्ति है वाद भूमि पर जबरिया अतिक्रमण कर प्रतिवादीगण कब्जा जमाए बैठे है

उपरोक्त भूमि ग्राम सोनडी में स्थित है तथा उपरोक्त कृषि भूमि में 13.2910 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने वादी की खातेदारी भूमि में अवैध तौर से कब्जा कर निर्माण कार्य करके कुल कच्चे पक्के 11 मकानात बना लिये तथा उसमें रिहायश करने लग गये। जबकि वादीगण कमजोर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं प्रतिवादीगण बहुसंरक्षक तथा रूपये पैसे वाले व्यक्ति है तथा वादी की कृषि भूमि पर मकान बना कर काबिज हो चुके है जो कतई गैरकानुनी है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि से बेदखल करवा कर कब्जा पाने का अधिकारी है।

अतः घोषणा कि जावे की रोही मौजा सोनडी तहसील नोहर के खाता संख्या 368 / 355 के ख.न. 875 / 1 की 5.2990 हैक्टर ख.न.896 / 5 की 0.5560 हैक्टर ख. न. 897 की 7.4360 हैक्टर कुल तादादी 13.2910 हैक्टर उतरी पूर्वी कोने पर प्रतिवादीगण सं.1 ता 6 द्वारा करीब 10 वर्ष पूर्व वाद भूमि में अवैध तौर से कब्जा कर निर्माण कार्य करके अतिक्रमण कर मकानात कच्चे पक्के समस्त मकानात को हटाये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। भूमि में से वादी की भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करवा पाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का सोनडी से मौका एवं रिकार्ड की रिपोर्ट लि गई पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सोनडी के ख.न. 875/1 की 5.229 है. ख.न.896/5 की 0.556 है. ख.न.897 की 7.436 है. कुल 13.291 हैक्टर भूमि मनफुल वल्द चन्दुराम कौम बावरी खातेदार दर्ज रिकार्ड है एवंम ख.न. 896/4 की 0.228 हैक्टर बारानी भूमि नूराराम रोलूराम पि. नोताराम कौम बाजीगर ब.हि.ब सा.देह ख.न. 896/3 की 3.794 हैक्टर बारानी भूमि नानुराम रोलुराम पि. नोताराम 1/3 हिस्सा बहिब प्याराराम, रामचन्द्र पि. वारिसान 2/3 हि. बहिब कौम बाजीगर सा. देह खातेदार तथा ख.न. 896/2 1.543 हैक्टर पानादेवी पत्नि लिछमणराम कौम बावरी सा. देह खातेदार तथा ख.न. 896/1 की 1.543 हैक्टर भूमि मनोहरी पत्नि बीरबलराम कौम बावरी सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है मौके पर उक्त खसरा आबादी ग्राम सोनडी के चिपता हुआ है अप्रार्थीगण गुरदीप आदि पि. करनैलसिह के मकान आबादी ग्राम सोनडी के चिपते हुए पक्की सडक की दक्षिण दिशा में बने हुये है सामान्य जानकारी लेने पर अप्रार्थीगण के घर पर बिजली का मीटर लगाा हुआ है पूर्व में अप्रार्थी इन्दिरा आवास योजना द्वारा लाभान्वित हो चुके है चूकि ख.न. 896 पांच भागो में विभाजित हो चुका है मूल नक्शा उपलब्ध नही होने की वजह से यह बताया जाना सम्भव नही है कि उक्त मकान आबादी क्षेत्र में है या उक्त खसरे के किस भाग में किसके नाम कि खातेदारी भूमि में स्थित है।

अतः हल्का पटवारी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता की प्रतिवादीयों द्वारा वादी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)